

## प्रेस नोट दिनांक 30.05.2026

### **थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।**

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना हथिगवां के उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह हे0का0 संग्राम सिंह, का0 अशेष कुमार द्वारा एसटी नं0 180/2017 सम्बन्धित मु0अ0सं0 149/2016 अन्तर्गत धारा 307/323/504/506/352/ भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त माजउल्ला पुत्र सनाउल्ला निवासी ग्राम परेवा नारायनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत परेवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. माजउल्ला पुत्र सनाउल्ला निवासी ग्राम परेवा नारायनपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह हे0का0 संग्राम सिंह, का0 अशेष कुमार थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस की कार्यवाही “हत्या के प्रयास” के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त मो0 कैफ को किया गया गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम यहियापुर से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 09.03.2026 को वादिनी का पुत्र दिवानगंज बाजार से घर लौटते समय बाबा बेलखरनाथधाम पुल के पास पूर्व से घात लगाए बैठे आरोपीगण द्वारा लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। इस संबंध में थाना दिलीपपुर में मु0अ0स 47/26 धारा 109(1)/115(2) /3(5)/351(3)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी

पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुजीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 धीरज, रि0का0 आनन्द कुमार, रि0का0 अश्वनी कुमार, मरिका0 साक्षी सिंह, म0रि0का0 विभा पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स 47/26 धारा- 109(1)/115(2) /3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 01. मो0 कैफ पुत्र अनीश उर्फ मुन्नु निवासी ग्राम गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम यहियापुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 कैफ पुत्र अनीश उर्फ मुन्नु निवासी ग्राम गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुजीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 धीरज, रि0का0 आनन्द कुमार, रि0का0 अश्वनी कुमार, मरिका0 साक्षी सिंह, म0रि0का0 विभा पाण्डेय थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़**

थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में 12 वर्ष पूर्व अभिरक्षा से फरार 01 लाख का ईनामियां अभियुक्त भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में ईनामियां अभियुक्त भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण / नेतृत्व में स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स 147/2014 धारा- 223, 224, 225 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, 01.भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की पुत्र राम विशाल दुबे उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम संगीयापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ हाल पता 203 किमावती कम्पलेक्स थाना किम जिला सूरत राज्य गुजरात को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नहर पटरी धधुआ गाजन से गिरफ्तार किया गया।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की पुत्र राम विशाल दुबे उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम संगीयापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ हाल पता 203 किमावती कम्पलेक्स थाना किम जिला सूरत राज्य गुजरात ।

ईनामियां गिरफ्तार अभियुक्त भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की पुत्र राम विशाल दुबे का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-147/2014 धारा 223/224/225 भादवि, थाना कोतवाली नगर।
2. मु0अ0सं0-237/2003 धारा 323/504/325 भादवि, थाना लालगंज।
3. मु0अ0सं0-213/2004 धारा 307/504 भादवि, थाना लालगंज।
4. मु0अ0सं0-121/2004 धारा 392 भादवि, थाना लालगंज।
5. मु0अ0सं0-143/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना संगीपुर।
6. मु0अ0सं0-68/2005 धारा 323/504/506/487 भादवि व 7 सीएलए एक्ट, थाना लालगंज।
7. मु0अ0सं0-75/2005 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज।
8. मु0अ0सं0-72/2005 धारा 504/506 भादवि, थाना लालगंज।
9. मु0अ0सं0-111/2005 धारा 302/323/506 भादवि, थाना लालगंज।
10. मु0अ0सं0-02/2007 धारा 302/404/323/120बी भादवि, थाना जीआरपी प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0-488/2009 धारा 307 भादवि, थाना लालगंज।
12. मु0अ0सं0-492/2009 धारा 307 भादवि, थाना लालगंज।
13. मु0अ0सं0-61/2010 धारा 307/386 भादवि, थाना लालगंज।
14. मु0अ0सं0-217/2010 धारा 307/386 भादवि, थाना लालगंज।
15. मु0अ0सं0-253/2010 धारा 307 भादवि, थाना लालगंज।
16. मु0अ0सं0-307/2010 धारा 386/504/506 भादवि, थाना लालगंज।
17. मु0अ0सं0-355/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज।
18. मु0अ0सं0-23/2011 धारा 307 भादवि, थाना लालगंज।
19. मु0अ0सं0-24/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना लालगंज।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 विजेन्द्र सिंह, हे0का0 विजय, हे0का0 भानू सिंह , आ0 मुकेश पटेल, आ0 जागीर, आ0 अरविन्द दुबे, मु0 आ0 सनोज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में यक्ष एप के माध्यम से लापता आपराधियों के सत्यापन के लिये अनवरत अभियान चलाया जा रहा था। उक्त के क्रम में बीट आरक्षी द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर यह जानकारी हुई थी कि 12 वर्ष पूर्व अभिरक्षा से फरार अभियुक्त भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की पुत्र राम विशाल दुबे उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम संगीयापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ हाल पता 203 किमावती कम्पलेक्स थाना किम जिला सूरत राज्य गुजरात वर्तमान समय में गुजरात में छुपकर रह रहा है। तदाउपरान्त जनपद पुलिस द्वारा सभी तकनीकी संसाधनों व सूचना तन्त्र का प्रयोग करते हुये

अभियुक्त की जानकारी जुटाई गई। उसी के क्रम में आज दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का विस्तृत विवरण - वर्ष 2014 में अभिरक्षा से फरार होने के उपरांत अभियुक्त भानु दुबे कुछ महीनों तक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में छुपता घूमता रहा। पूर्व में जेल में रहने के दौरान उक्त अभियुक्त की अन्य आपराधियों से जान पहचान हो गई थी। उन्ही के सहयोग से इसने सूरत में अपना ठिकाना बना लिया। वहां जाकर इसने अपने लिए क्षयनाम से सर्वप्रथम राशन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड बनवाया जिसमें इसने अपना नाम दुबे विक्की रामविलास पुत्र राम विलास दुबे व पता किमावती कंपलेक्स सूरत लिखवाया। वहां रहकर अभियुक्त ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा उसके लिए इसको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ी तो इसने अपने एक सहयोगी की मदद से फर्रुखाबाद के पते पर वर्ष 2020 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया गया।

### **थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त/अभियुक्ता को थाना क्षेत्रान्तर्गत छेमर सरैया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम सराय तिहड़त थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री के ससुरालीजन विवाह के बाद से दहेज में 02 लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। दिनांक 28.05.2026 को आरोपियों द्वारा मारपीट कर उसकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर संबंध में थाना लीलापुर में मु०अ०स०-148/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह म०उ०नि० ज्योति, का० प्रवीण कुमार, म०का० दीपिका यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०स० 148/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1.राधेश्याम वर्मा पुत्र स्व० जोखू वर्मा निवासी ग्राम पूरम्मू तेलियाही थाना लीलापुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2.शिवकुमारी पत्नी स्व० जोखू वर्मा

निवासी ग्राम पूरेरम्मू तेलियाही थाना लीलापुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत छेमर सैरैया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. राधेश्याम वर्मा पुत्र स्व० जोखू वर्मा निवासी ग्राम पूरेरम्मू तेलियाही थाना लीलापुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

02. शिवकुमारी पत्नी स्व० जोखू वर्मा निवासी ग्राम पूरेरम्मू तेलियाही थाना लीलापुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह म०उ०नि० ज्योति, का० प्रवीण कुमार, म०का० दीपिका यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 01किलो 150 ग्राम गांजा के साथ 01अभियुक्त अनिल कुमार को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय आई०टी०आई० वहद ग्राम भिटारा के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ०नि० रमेश सिंह यादव मय हमराह का० सौरभ शर्मा व का० गौरव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय आई०टी०आई० वहद ग्राम भिटारा के पास से 01 अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व० रघुनाथ गौतम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को कुल 01किलो 150 ग्राम गांजा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अनिल कुमार के कब्जे से कुल 01किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0-136/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व० रघुनाथ गौतम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 01किलो 150 ग्राम नाजायज गांजा बरामदा

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रमेश सिंह यादव मय हमराह का0 सौरभ शर्मा व का० गौरव थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

### **थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़**

थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित/फरार 07 अभियुक्तों पर ₹10,000-₹10,000 का इनाम घोषित-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-21/2026 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 351(3), 117(2) बीएनएस से संबंधित वांछित/फरार 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक पर ₹10,000/- (दस हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया है।

उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त 1-रमाशंकर पुत्र दिनेश तिवारी, 2-अनूप कुमार पुत्र दिनेश तिवारी, 3-देव तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी, 4-अभियुक्त अमन सरोज पुत्र रमेश सरोज, 5-मेवालाल यादव पुत्र मैकूलाल यादव, 6-शीतला प्रसाद शुक्ला पुत्र रामनरेश शुक्ला एवं 7-आर्यन शुक्ला उर्फ अमित शुक्ला पुत्र शीतला

प्रसाद शुक्ला निवासीगण ग्राम खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ घटना के उपरांत से लगातार फरार चल रहे हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी कर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, किन्तु सार्थक प्रयासों के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

जनसहयोग प्राप्त करने एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उपरोक्त सभी अभियुक्तों पर ₹10,000-₹10,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।

अभियुक्तों के संबंध में कोई भी सही एवं ठोस सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा तथा नियमानुसार घोषित पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सतत प्रतिबद्ध है तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

### **थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नियाजुद्दीन को 01 बास की लाठी के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत विष्णुपुर कला मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2026 को प्रार्थिनी रुबीना बानो निवासी ग्राम विष्णुपुर थाना रानीगंज के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर अतहर, असलम, निजामुद्दीन, शाहिद, अलफिसा बानो एवं नसरुल बानो आदि द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना में प्रार्थिनी की सास शमशुल निशा के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे वह बेहोश होकर गिर गईं। शोर मचाने पर आरोपीगण गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। जिसके संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1)/352/351 (3) बी0एन0एस0 बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण का0 रामकिशन व का0 कृष्णा पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा

191 (2)/191 (3)/109 (1)/352/351 (3) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त नियाजुद्दीन पुत्र मोइनुद्दीन निग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत विष्णुपुर कला मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त नियाजुद्दीन पुत्र मोइनुद्दीन निग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण का0 रामकिशन व का0 कृष्णा पाल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

**थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त विवेक कुमार यादव व राजेन्द्र कुमार को 01 अदद लाठी के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25/05/2026 को वादी निवासी ग्राम हरपालमऊ (गोपालपुर) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ने आरोप लगाया है कि भूमि विवाद को लेकर विपक्षीगणों ने एक राय होकर उसके तथा उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं जानलेवा हमला किया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि विपक्षीगणों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-128/2026 धारा 191(1)/191(2)/115(2)/131/109(1)/117(2)/ 110/ 333/324(4)/352/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराही का आशुतोष तिवारी, का0 रुद्रांश चौबे, रि0का0 विनायक सिंह, रि0का0 रितेश यादव, रि0का0 सचिन

पाण्डेय, रि0का0 अर्पित गुप्ता, रि0म0का0 अस्मिता सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-128/2026 धारा- 191 (1)/191 (2) 1115(2)/131/109(1)/117 (2)/110/333/324(4)/352/351 (3) B.N.S थाना फतनपुर से संबंधित 02 अभियुक्त 1.विवेक कुमार यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम हरिपालमऊ (गोपालपुर) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 2.राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथी यादव समस्त निवासी ग्राम हरिपालमऊ (गोपालपुर) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. विवेक कुमार यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम हरिपालमऊ (गोपालपुर) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष ।
02. राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथी यादव समस्त निवासी ग्राम हरिपालमऊ (गोपालपुर) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

बरामदगी-

- 01 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराही का आशुतोष तिवारी, का० रुद्रांश चौबे, रि0का0 विनायक सिंह, रि0का0 रितेश यादव, रि0का0 सचिन पाण्डेय, रि0का0 अर्पित गुप्ता, रि0म0का0 अस्मिता सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अरबाज खान को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत मकूनपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज हुड्डा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धनन्जय राय मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान थाना कोहंडौर के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अरबाज खान पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम सूम्हा, परसरामपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष को मकूनपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अरबाज खान पुत्र मो0 शरीफ निवासी ग्राम सूम्हा, परसरामपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री धनन्जय राय मय हमराह रि0का0 विपिन गहलोत, रि0का0 सरोज अमन आदित्य, रि0का0 राहुल सिंह, का0 मनीष कुमार यादव (चालक) थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।